अधिसूचना दिनांक 23.10.2015

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिटट्न मार्केट, भोपाल– 462016

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

क्रमांक 1875/म.प्र.वि.नि.आ./2015 – विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 50 एवं धारा 56 के साथ पठित मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 9 के खण्ड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में प्रथम संशोधन

[एआरजी–1(I)(i) वर्ष 2015]

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ:** 1.1 यह संहिता ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 [क्रमांक एआरजी–1 (I)(i) वर्ष 2015]'' कहलायेगी ।

   1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

   1.3 यह संहिता संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगी ।

उक्त संहिता में,–

2. खण्ड 4.8 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

   ''4.8 विद्युत ऊर्जा के नवीन प्रदाय अथवा अतिरिक्त प्रदाय हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथाअपेक्षित प्ररूप में, दो प्रतियों में अध्यपेक्षा की जाएगी जिसकी प्रतियां अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में व्यय पर उपलब्ध होंगी । उपभोक्ताओं द्वारा खाली प्ररूप की छायाप्रतियों का या अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाईट से डाउनलोड किए गए प्ररूपों का उपयोग भी किया जा सकता है और जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा । अध्यपेक्षा अनुज्ञप्तिधारी के पोर्टल पर दिए गए प्ररूप में ऑनलाईन भी की जा सकती है। विनिर्दिष्ट आवेदन पत्रों में किया गया कोई भी पश्चात्वर्ती परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को तत्परता से सम्यक् रूप से सूचित किया जाएगा ।'' ।

3. खण्ड 4.43 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''4.43 कोई व्यक्ति जिसे अस्थाई प्रकृति के प्रयोजन हेतु विद्युत् प्रदाय की आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथाअपेक्षित प्ररूप में दो वर्ष से कम की कालावधि के लिये अस्थाई विद्युत् प्रदाय के लिए आवेदन कर सकता है । अस्थाई संयोजन की कालावधि भवन निर्माण/ऊर्जा संयंत्रों तथा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के प्रयोजन के लिए पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है । 10 किलोवाट तक के भार के लिए अस्थाई प्रदाय के लिए अध्यपेक्षा साधारणतया उस दिन से जब से कि प्रदाय अपेक्षित हो, 7 दिन पूर्व तथा उपरोक्त भारों से अधिक भार के लिए 30 दिन पूर्व दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में निर्माण प्रयोजनों के लिए स्थाई संयोजन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।''।

4. खण्ड 4.58 में, शब्द ''विनिर्दिष्ट'' के स्थान पर, शब्द ''अपेक्षित'' स्थापित किया जाए ।

5. खण्ड 7.3 में, शब्द ''विनिर्दिष्ट प्ररूप'' के स्थान पर, शब्द ''अपेक्षित प्ररूप'' स्थापित किए जाएं।

6. खण्ड 7.10 से 7.14 तक के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :–

''7.10 उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी आवेदन, उसके द्वारा अपेक्षित प्ररूप में अनुज्ञप्तिधारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । एल.टी. संयोजन के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किए जाने को अनुज्ञात करने के पूर्व, उपभोक्ता द्वारा किसी सक्षम अनुज्ञप्त विद्युत् ठेकेदार से, परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्ट रिपोर्ट) भी प्रस्तुत की जाएगी ।

7.11 संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :–

(क) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में उल्लिखित कारणों पर विचार करेगा तथा आवेदन को स्वीकृत करेगा अथवा आवेदन पर विचार न किए जाने के कारणों को आवेदक को 15 दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में सूचित करेगा;

(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लिखित 15 दिवस की कालावधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना देकर उसका ध्यान मामले की ओर दिला सकेगा तथा

यदि तब भी 15 दिवस की कालावधि के भीतर निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है तो संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी अनुमति प्रदान कर दी गई समझी जाएगी, जो ऐसी सूचना की कालावधि का अवसान होने के उपरान्त आगामी कार्य दिवस से प्रभावी होगी;

(ग) उस दशा में, जहां कि संविदा मांग में कमी अनुज्ञात कर दी गई है, वहां वह उस माह के आगामी माह के प्रथम दिन से प्रभावशील होगी जिसमें संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी निर्णय संसूचित किया गया हो ।

7.12 यदि उपभोक्ता ऐसी वांछा करे तो अनुबंध की प्रारंभिक कालावधि के दौरान संविदा मांग में एक बार कमी अनुज्ञात की जाएगी । संविदा मांग में कमी, आवेदन प्रस्तुत करते समय लागू करार के अनुसार संविदा मांग के, 50% तक ही सीमित रहेगी :

परन्तु संविदा मांग में अनुरोध की गई कमी इस संहिता के अध्याय 3 में किसी विशिष्ट श्रेणी के वोल्टेज के लिए, यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं होगी । एक बार भुगतान किए गए विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभार तथा लागू अन्य प्रभार वापसी योग्य नहीं होंगे ।

7.13 अनुबंध की प्रारंभिक कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, उपभोक्ता, अपने संयोजन की संविदा मांग में, इस संहिता में यथाविनिर्दिष्ट विशिष्ट श्रेणी के वोल्टेज हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक, कमी किए जाने के लिए हकदार होगा । संविदा मांग में कमी किए जाने के लिए कोई पश्चात्वर्ती अनुरोध, संविदा मांग में ऐसी कमी प्रभावशील हो जाने की तारीख से कम से कम एक वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् भी, अनुज्ञप्तिधारी को किया जा सकेगा ।

7.14 जब संविदा मांग में कमी पर सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक अनुपूरक करार निष्पादित करेगा । संविदा मांग में कमी किए जाने संबंधी प्रभाव को अनुपूरक करार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्तिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् उपभोक्ता को, अनुपूरक करार में उल्लिखित तारीख से लागू कर देयक में अन्तरित कर दिया जाएगा ।''।

7. खण्ड 7.16 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''7.16 उपभोक्ता को इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किए जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों/विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का प्रतिदाय प्राप्त करने की पात्रता नहीं

होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किए जाने के पश्चात् पुनः संविदा मांग में वृद्धि की मांग करता है, तो ऐसी दशा में उसे उन विद्युत् प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जो कि ऐसा अनुरोध करते समय लागू थे ।''।

8. खण्ड 10.2.3.1 में, शीर्षक ''एच–प्रति दिवस विद्युत प्रदाय घण्टों का उपयोग'' के अधीन, मद् क्रमांक (एफ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

'' (एफ)	कृषि	10 घन्टे।''।

9. खण्ड 10.2.3.4 में, विद्यमान मद एच के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :–

''एच = कृषि संयोजनों हेतु 10 घन्टे तथा अन्य उपयोग हेतु 12 घंटे लिया जाएगा।''।

10. इस संहिता से संलग्न परिशिष्ट 1 एवं 2 का लोप किया जाए ।

11. संहिता के खण्ड 6.38 में, हिन्दी पाठ में, शब्द ''अनुमोदित किए गए'' का लोप किया जाए ।

आयोग के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव